No. 81

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 73/2022

उनवान

बलवीरसिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति राजपूत निवासी तिलाना तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

—वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. नंदकंवर पुत्री मनोहरसिंह
2. भगवानसिंह पुत्र मनोहरसिंह ,
3. भैरूसिंह ,
4. शंकरसिंह ,
5. सुमेरसिंह पुत्र सांवतसिंह ,
6. सायरकंवर पत्नि भैरूसिंह ,
7. कंचनकंवर पुत्री नारायणसिंह ,
8. गुलाबसिंह पुत्र गणपतसिंह ,
9. पप्पूकंवर पुत्री श्यामसिंह ,
10. मानकंवर पत्नि चांदसिंह समस्त जातिगण राजपूत निवासी तिलाना तहसील नसीराबाद जिला अजमेर,
11. सत्यनारायण पुत्र श्रवणलाल जाति गुर्जर निवासी तिलाना,
12. दी मैनेजर एचडीएफसी बैक शाखा सेदरिया तहसील नसीराबाद,
13. दी मैनेजर स्टेट बैक आफ इंडिया शाखा तिहारी तहसील नसीराबाद,
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 13 अनुपस्थित
14 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 10.7.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिलाना के खाता संख्या 422/404 किता 8 रकबा 7.04, 442/429 किता 2 रकबा 0.38 व खसरा नम्बर 1745 रकबा 0.68 की आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 11 की सह खातेदारी आराजी की है। उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण आराजी [illegible] वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र [illegible] करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण [illegible] जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 6 की ओर से पूर्व में अधिवक्ता उपस्थित हुये प्रकरण विचारण के दौरान अनुपस्थित होने कें कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। शेष प्रतिवादीगण भी प्रकरण मे अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण का कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने जाहिर किया कि वे वाद में मात्र विभाजन का अनुतोष चाहते है तथा प्रकरण में साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 की सह खातेदारी में है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। वादी ने उक्त वाद मे विभाजन का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 13 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा का विभाजन होने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव के समय भी प्रस्तुत कर सकते है। वादी विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम तिलाना के खाता संख्या 422/404 किता 8 रकबा 7.04, 442/429 किता 2 रकबा 0.38 व खसरा नम्बर 1745 रकबा 0.68 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

बलवीर बनाम नन्द कंवर

दावा बाबत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 73/2022
पेश करने की दिनांक – 06.06.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम तिलाना के खाता संख्या 422/404 किता 8 रकबा 7.04, 442/429 किता 2 रकबा 0.38 व खसरा नम्बर 1745 रकबा 0.68 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 7 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested